10/3/25

पत्रावली पेश हुई विपक्षी पेश हुआ। उभय पक्ष उपस्थित।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार [illegible]
[illegible]
[illegible]

निर्णय उद्घोषित।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/562

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
मोमनराम बनाम रसनदीप कौर आदि
किस्म मुकदमा:–251–क आर0टी0ए0 प्रकरण संख्या:–219/2024 (GCMS No. 2024/502)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि वाके रोही कोनपालसर के खाता संख्या 247 नया 202 पुराना के खसरा नं. 416 में 12.656 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1205/12646 दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या–01 के नाम से इसी रोही के खाता संख्या 216 नया 201 पुराना के खसरा नं. 264 में 2.655 हैक्टर बारानी दोयम, 415 में 3.730 हैक्टर बारानी दोयम कुल 6.385 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या–02 के नाम से इसी रोही के खाता संख्या 217 नया 103 पुराना के खसरा नं. 115 में 2.402 हैक्टर बारानी प्रथम, 414 में 6.071 हैक्टर बारानी दोयम, 500/129 में 3.614 हैक्टर बारानी प्रथम, 501/260 में 5.441 हैक्टर बारानी दोयम कुल 17.528 हैक्टर बारानी दोयम/प्रथम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी को वाके रोही कोनपालसर के खाता संख्या 247 नया 202 पुराना के खसरा नं. 416 की खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1–2 की भूमि में से आवागमन करना पड़ता है। यह काफी पुराना रास्ता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आना–जाना करता है। अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीद्वारा उक्त रकबा कुछ वर्षो पूर्व ही खरीद किया हुआ है। खसरा नं. 416 के सभी काश्तकार अपने रकबा को काश्त करने के लिये अप्रार्थी संख्या 1–2 के खसरा नं. 415, 414 में से कभी गुजरे ही नही है। प्रस्तावित रास्ता कभी चला ही नही है। खसरा नं. 416 के लिये रास्ता पूर्व में उपलब्ध है। खसरा नं. 416 के दक्षिणी पासा में अरसा दराज से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी की भूमि संयुक्त खाता की है, बिना खाता विभाजन करवाये रास्ता की बदला में किस भूमि का कब्जा प्रदान करेगें। यह स्पष्ट नही है। नया रास्ता की मांग नही कर सकते है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जावें। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। भू.अ.निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 07.08.2024 अनुसार प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। कोई विवाद/स्थगन नही है तथा प्रस्तावित रास्ता में कोई पेड़ आदि नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी मोमनराम के नाम अंकित संयुक्त खाता की भूमि तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 247 नया 202 पुराना के खसरा नं. 416 में खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 रसनदीप कौर के नाम अंकित भूमि में से रोही कोनपासर के खसरा नं. 415 की 0.019 हैक्टर चौड़ाई में पूर्व पासा में उत्तर से दक्षिण व अप्रार्थी संख्या 2 पृथ्वीसिंह के नाम अंकित भूमि रोही कोनपालसर क खसरा नं. 414 में 0.019 हैक्टर चौड़ाई में पूर्व पासा में उत्तर से दक्षिण रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी उक्त स्वीकृत रास्ता के बदला में वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० की चार गुणा राशि तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष जमा करवायें। उक्त राशि जमा होने पर स्वीकृत रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तहसीलदार सूरतगढ़ उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को उनकी भूमि में रास्ता हेतु स्वीकृत की गई का आंकलन कर उन्हे करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशि प्राप्त कर सकते है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	1635 12/03/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:43:07 IST
Reason: Self Attested